

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019

प्रार्थी 22

बनाम

अप्रार्थी

तहसीलदार भू.अ. सायला

श्री सरकार जरिये भूमिधारी

जिला जालोर

तहसीलदार सायला

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार ( तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मैपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसराओं के मिसामेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1615/1705 रकबा 0.10 हे., में अलावा जोत नाकाबिल काश्त के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1615/1705 रकबा 0.10 हे. में जलमग्न (चारागाह हेतु) राजस्थान सरकार दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्टा में 1615/1805 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्टा में 1615/1805 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्टा में खसरा नम्बर 1615/1805 की बजाय 1615/1705 शुद्ध संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम भूण्डवा के खसरा नम्बर 1615/1805 की बजाय 1615/1705 रेकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होने का सहमती पत्र दिया गया है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षरार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1615/1705 रकबा 0.10 हे., में अलावा जोत नाकाबिल काश्त

ॐ

के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1615/1705 रकबा 0. 10 हे. में जलमग्न (चारागाह हेतु) राजस्थान सरकार दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1615/1805 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1615/1805 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थलवाड के सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 1615/1805 की बजाय 1615/1705 नक्शा शीट में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंसा अनुसार पर सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1615/1805 की बजाय 1615/1705 की दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 1615/1805 की बजाय 1615/1705 की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रिकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ..... 20/05/2019 ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया

  
(गौमती शमी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सायला